

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

राज्यसात वाद संख्या - 22/2011

राज्य बनाम ज्योति कुमार

आदेश की क्रम
संख्या और
तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी तारीख

20-02-2019

—:: आदेश ::—

अभिलेख उपस्थापित। विपक्षी के विद्वान् अधिवक्ता का बहस सुना। विपक्षी का कहना है कि अनुमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ का पत्रांक-459/आ०, दिनांक-17.08.2011 से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में जन वितरण प्रणाली बिक्रेता ज्योति कुमार, अनुज्ञप्ति संख्या-4/2000 द्वारा सरकारी चावल की कालाबाजारी की शिकायत के आधार पर राज्यसात की कार्रवाई की गई, जो नियम के प्रतिकूल है। माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, हजारीबाग में दायर जी०आर० केस नं०-2213/11/टि०आर० नं०-402/14 में अभ्युक्त को बरी किया गया है। वर्तमान में जन वितरण प्रणाली दुकान का संचालन विपक्षी ज्योति कुमार की ओर से की जा रही है। आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा-7 के अन्तर्गत दायर राज्यसात की कार्रवाई बन्द करते हुए अनुज्ञप्ति को स्थायी रूप से विमुक्त करने हेतु अनुरोध किया है।

विपक्षी के विद्वान् अधिवक्ता का बहन सुनने एवं उनके द्वारा समर्पित कागजातों का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि वर्तमान में अनुज्ञप्तिधारी (अनुज्ञप्ति संख्या-4/2000) ज्योति कुमार, ग्राम-कुन्दुकला पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत राज्यसात की कार्रवाई नियम संगत प्रतीत नहीं होता है।

अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में अनुज्ञप्तिधारी (अनुज्ञप्ति संख्या-4/2000) ज्योति कुमार, ग्राम-कुन्दुकला पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत राज्यसात की कार्रवाई बन्द करते हुए अनुज्ञप्ति को स्थायी रूप से विमुक्त किया जाता है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, रामगढ़ एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ को आदेश की प्रति अग्रत्तर-आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें, इसी मन्तव्य की साथ वाद की कार्रवाई बन्द की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त,
रामगढ़।

उपायुक्त,
रामगढ़।

139/विधि
26/02/18